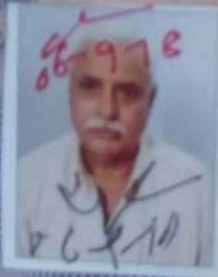


22/11/2018

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 165522



विक्रय विलेख

- | | |
|---|---|
| 1. भूमि का प्रकार | : कृषि |
| 2. वार्ड/परगना | : बस्ती पूर्व |
| 3. तप्पा | : सिवपुर |
| 4. मोहल्ला/ग्राम | : दिग्विजयपुर |
| 5. सम्पत्ति का विवरण | : प्लॉट नं. 23 चक होल्डर नं. 38 से चक नं. 1 के माटा रक 10मि. 11मि. 14मि. (पुनिक आईडी- चकबन्दी में है) |
| 6. मापन की ईकाई | : हेक्टेयर |
| 7. सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : 0.017 हे. 0 |
| 8. सड़क की स्थिति | : कुछ नहीं |
| 9. अन्य विवरण | : कुछ नहीं |
| 10. सम्पत्ति का प्रकार | : कृषि भूमि |
| 11. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में) | : कुछ नहीं |
| 12. कुल आवधिक क्षेत्रफल | : कुछ नहीं |
| 13. स्थिति-फिनिश/सेमीफिनिश/अन्य | : कुछ नहीं |
| 14. पेड़ों का मूल्यांकन | : कुछ नहीं |
| 15. बोरिंग/कुआं/अन्य | : है |
| 16. निर्मित क्षेत्रफल | : कुछ नहीं |
| 17. निर्माण का वर्ष | : कुछ नहीं |
| 18. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है | : नहीं |
| 19. प्रतिफल की धनराशि | : मु. 2,04,000/- रुपये |
| 20. सरकारी मालियत | : मु. _____/- रुपये |
| 21. स्टाम्प | : मु. 10,200/- रुपये |

Guni

मील नमूना

दयशंकर शुक्ल

कृष्ण शर्मा

दीपक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 165523



2

Suni

मोलाना पथाना

दयाशंकर शुक्ला

कृपाशंकर

छोटकन

घोहददी :-

पूरब:-

पश्चिम:-

उत्तर:-

दक्षिण:-

आराजी चक होल्डर नं० 16 N.C.M.L बस्ती प्रा० लि०

शेष रक्का सहखातेदार

आराजी चक होल्डर नं० 268 N.C.M.L बस्ती प्रा० लि०

आराजी चक होल्डर नं० 38 N.C.M.L बस्ती प्रा० लि०

यह विक्री विलेख उपनिबन्धक भानपुर जिला बस्ती दिनांक 6/09/18 के इस दिवस को तैयार और निष्पादित किया जाता है।

के मध्य

कृपाशंकर, छोटकन, दयाशंकर, मोलानाथ, पुत्रगण विश्वनाथ हिस्सेदार सम्भाग 1/4 भाग प्रत्येक, निवासी ग्राम सुल्तानपुर तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती एतद्वारा जिसे विक्रेता/प्रथम पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाता है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ और उनके सम्बन्धित उत्तराधिकारी, वारिस, प्रशासक, निष्पादक, वकील और हस्तांतरिती आदि शामिल होंगे। मो० नं०-

और

एन० सी० एम० एल० बस्ती प्रा० लि० जो कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है जिसका पंजीकृत कार्यालय -IFFCO Tower- 1, B-Wing 5th Floor, Plot No. 3, Sector 29, Gurgaon, Haryana-122001 है के द्वारा बोर्ड रेजोल्यूशन दिनांक 30 जनवरी 2017 एवम् आर्थोरिटी लेटर दिनांक 15 दिसम्बर 2017 के द्वारा श्री सुनील चौरसिया पुत्र मनोहर लाल को क्रेता के रूप में प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया है अतः श्री सुनील चौरसिया पुत्र मनोहर लाल उक्त विक्रय विलेख में क्रेता/द्वितीय पक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एतद्वारा जिन्हें 'क्रेता' के रूप में संदर्भित किया जाता है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, जिसका अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, और हस्तांतरिती आदि शामिल होंगे) मो० नं०-9205590148

79653

90000 रु. 50 रु. M. C. M. L. 50 रु.

विक्रय पत्र

प्रतिफल - 204000 स्टाम्प शुल्क - 10200 बाजारी मूल्य - 75000 पंजीकरण शुल्क - 4080 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 41600

7 AUG 2018

श्री कृपाशंकर
पुत्र श्री 79653

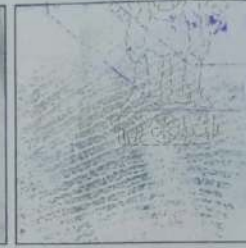
व्यवसाय : कृषि

अजय नारायण मिश्रा

लागू-15

कलेक्टर के कार्यालय-बस्ती

यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 06/09/2018 एवं 04:09:47 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

06-978

बृजभूषण सिंह

उप निबंधक : भानपुर

बस्ती

06/09/2018

अवधेश कुमार पाण्डेय

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 165524



3

Guni

दीपक

नीलमय शुक्ला

दयाशंकर शुक्ला

क. पांडे

चूंकि तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्वामित्व/अधिकारों के राजस्व/चकबन्दी रिकार्ड के अनुसार, चक होल्डर/चकदार नं0 38 के चक नं0 1 के प्रस्तावित गाटा सं0 10मि0, 11मि0 व 14मि0 कुल रकबा 0.251 हे0 में से समी गाटो का कुल विक्रित रकबा 0.017 हे0 का सम्पूर्ण वैधानिक अंश स्थित मौजा टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के मूल स्वामी प्रथम पक्ष है तथा विक्रेता अपने निज हिस्से की भूमि ही विक्रय कर रहा है।

और चूंकि एतद्वारा विक्रेता के बीच यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार उपरोक्त भूमि को बेचने पर सहमति हुई है, और आगे भी उपरोक्त भूमि के लिए इस अंतिम बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं। विक्रेता उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा भविष्य में दायर किये जाने वाले किसी भी प्रकार के दावे, मांग, अभियोग और/या कानूनी कार्यवाही के खिलाफ वर्तमान क्रेता को उसके मालिकाना अधिकारों और बिक्रीयोग्य स्वत्वाधिकार की क्षतिपूर्ति करेगा।

और चूंकि यहाँ विक्रेता के पास अपनी उपरोक्त संपत्ति के संबंध में पूर्ण स्वामित्व, कब्जा और निवास के पूर्ण अधिकार, स्वत्वाधिकार और हित प्राप्त हैं। वर्तमान विक्रेता के नाम भूमि अधिकारों के राजस्व/चकबन्दी रिकार्ड में दर्शाए गये हैं। उपरोक्त संपत्ति समी शुल्क/प्रभारों से मुक्त है और विक्रेता के अधिकार मान्य, स्पष्ट, बिक्री योग्य और हस्तांतरणीय है और वह कानून के तहत प्रदान किये गये तरीके से उसी तरह से निपटने की हकदार हैं (जिसमें वर्तमान खरीदार को उसे बेचना शामिल है) निम्न दी गई परिस्थितियों और शर्तों और नियमों के अंतर्गत:-

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि वह किसी आदिवासी/जनजातीय/अनुसूचित जाति या किसी भी अन्य जाति या पंथ से संबंधित नहीं है, जिसके अंतर्गत खरीदार के पक्ष में उपरोक्त संपत्ति कानून के अंतर्गत हस्तांतरण करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है।

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी तटीय नियमों, आरक्षण, ग्राम समाज की जमीन तालाब, जंगल, खनन अधिग्रहण आदि के कोई प्रावधान कमी भी उसपर लागू नहीं हुए हैं और उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी अध्यादेश, अधिनियम, अनुच्छेद, नियम और विनियमों (राज्य या केंद्रीय) के तहत कोई अधिसूचना जारी/प्राप्त नहीं की गई है जिसके अंतर्गत विक्रेता खरीदार को कथित संपत्तियों की बिक्री या निपटान से रोका गया है।

११९५२

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री कृष्णशंकर, पुत्र श्री विश्वनाथ

निवासी: सुल्तानपुर तम्पा शिवपुर

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 2

श्री दयाशंकर, पुत्र श्री विश्वनाथ

निवासी: सुल्तानपुर

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 3

श्री भोलानाथ, पुत्र श्री विश्वनाथ

निवासी: सुल्तानपुर

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 4

श्री छोटकन, पुत्र श्री विश्वनाथ

निवासी: सुल्तानपुर

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

श्री एन सी एम एल प्रा लि बस्ती द्वारा सुनील चौरसिया, पुत्र

श्री मनोहर लाल

निवासी: इफको टावर-1 बी विंग पाचवी मंजिल प्लॉट नं 3
सेक्टर 29 गुडगांव हरियाणा 122001

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री आयुष ठाकुर, पुत्र श्री मनोज ठाकुर

निवासी: कालका जी नई दिल्ली

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

श्री संतोष दत्त पुत्र श्री राधे सरन दत्त

निवासी: टावर पोस्ट दलानीपुर केशवपुर जिला सुल्तानपुर

व्यवसाय: नौकरी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 165525



4

दीपक मोहनप्रशम

दयाशंकर शुक्ला

कुपारकी

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई अभियोग या अन्य प्रकार की कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है। विक्रेता ने यह घोषित किया है कि कथित संपत्ति सभी लेनदेन व भार/बंधक से मुक्त, बिक्री योग्य और प्रभाररहित है और विक्रेता एकमात्र व्यक्ति है जो उस संपत्ति का पूर्ण हकदार है और विक्रेता क्रेता को क्षतिपूर्ति करने के लिये भी सहमत है और खरीदार, उसके निष्पादकों, उत्तराधिकारियों, प्रशासकों और हस्तांतरितारियों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही, दावे, नुकसान, मुकदमे, लागत और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा जो खरीदार को उन किसी अन्य व्यक्ति के दावों के परिणामस्वरूप खर्च करना या भुगतान करना पड़ सकता है।

और चूंकि विक्रेता द्वारा दिए गए वचन और आश्वासन के आधार पर निर्भर करते हुए, खरीदार चक होल्डर नं० 38 के चक नं० 1 के प्रस्तावित गाटा सं० 10मि०, 11मि०, 14मि०, कुल विक्रित रकबा 0.017 हे० स्थित मौजा टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्थित है जोकि चकबन्दी की प्रक्रिया में है विक्रेता अग्रिम रूपसे 2,04,000/- वार्षिक प्रतिफल के रूप में (रुपये दो लाख चार हजार केवल) के एवज में खरीदने के लिये सहमत हो गया है जिसकी कीमत 48,75,000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से 0.017 हे० का मूल्यांकन मु० 2,04,000/-रुपये पर 5 प्रतिशत की दर से मु० 10,200/-रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

और चूंकि विक्रेता द्वारा दिए गए वचन प्रतिनिधित्व और आश्वासन के आधार पर निर्भर करते हुए, भूमि खरीद की प्रतिफल राशि क्रेता द्वारा विक्रेता को निम्नानुसार भुगतान कर दी गई है:

नम	बैंक का नाम	राशि	डि०डि० नं०/यू०टी०आर० नं०	दिनांक
कुपारकी	YES BANK	51,000/-	N2491801464426	09 06.09.2018
छोटकन	YES BANK	51,000/-	N2491801464426	40 06.09.2018
मोला नाथ	YES BANK	51,000/-	N2491801464426	19 06.09.2018
दयाशंकर	YES BANK	51,000/-	N2491801464419	13 06.09.2018

मा १६५५

१६५५

9/6/2018

0001

रजिस्ट्रार



TRY

9 7 AUG

रजिस्ट्रार

2018

अजय नारायण गुप्ता

ल० न०-७५
कलेक्टरी कचेहरी-बस्ती

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

06-9-18

बृजभूषण सिंह

उप निबंधक : भानपुर

बस्ती

अवधेश कुमार पाण्डेय

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) -

नियमित

प्रिंट करें





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 165526

होदकर

मीलानन्द शुक्ल

दयाशंकर शुक्ल



5

Suni

कृष्ण

विक्रेता द्वारा इस बिक्री विलेख के निष्पादन से पहले उपरोक्त वर्णित भुगतान की प्राप्ति की पुष्टि कर दी गई है।

और चूंकि खरीदार ने अब विक्रेता को इस बिक्री विलेख निष्पादित करने का अनुरोध किया है, जिसे विक्रेता इसके आगे जिस प्रकार प्रस्तुत किया है सहमत हो गया है;

अब यह विक्रय विलेख साक्ष्य है कि खरीदार इस बिक्री विलेख के निष्पादन पर या उससे पहले विक्रेता को उपरोक्त प्रतिफल राशि की पूर्ण और अंतिम स्वीकृत प्रतिफल देय राशि का भुगतान कर दिया, विक्रेता की ओर से भूमि और उसका प्रत्येक हिस्सा, खरीदार के पक्ष में हमेशा के लिये विमुक्त, रिलीज और डिस्चार्ज करना होगा जिसमें उसके पेड़, फसलें, कुआं, ट्यूब/बोर-वेल, कोई भी संरचना या कुछ भी ऐसा जो वहां पर स्थायी रूप से स्थापित हैं, और किसी भी प्रकार की कोई उत्पादित वस्तु जो कुछ भी है जो निष्पादन तारीख तक कथित संपत्ति पर उपलब्ध है जिसके, मालियत परस्टाम्पशुल्क अदा किया गया है तथा इस विक्रय पत्र पर वर्णित होगा विक्रेता एतद्वारा खरीदार को हमेशा के लिए में कृषि भूमि जिसका चक होल्डर नं० 38 के चक नं० 1 के प्रस्तावित गाटा सं० 10मि०, 11मि०, 14मि०, कुल विक्रित रकबा 0.017 हे० स्थित मौजा टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्थित है उसकी अनुमति, बिक्री, हस्तांतरित और भरोसा, समी, नालियों, रास्ते, मार्ग, विशेषाधिकार, भोगाधिकार, लाम, फायदों, अधिकारों, सदस्यों और साजो सामान के साथ, कथित संपत्ति के संबंध में जो कुछ भी है या उसके साथ उसका जो भी सरोकार है या उसी के साथ या अब उसके किसी भाग को या अब तक किसी भी समय जो उसके पास है, जिसका उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके कब्जे में है या जिसका वह आनंद उठा रहा है या प्रसिद्ध या हिस्से के रूप में जाना जाने वाला भाग या कथित संपत्ति को समस्त विलेख, दस्तावेजों, लिखित कागजात, वाउचर और कथित संपत्ति के स्वामित्व के अन्य साक्ष्यों के साथ या उसका कोई हिस्सा और सभी एस्टेट, अधिकार, मालिकाना, हित, उपयोग, विरासत, संपत्ति, कब्जा, लाम, दावा और मांग के साथ जो कुछ भी कानूनन और विक्रेता के इस संपत्ति पर या उसके अंश पर हैं या उनका कोई भाग रखने के लिये है या रोकने के लिये है वे सभी या उनमें से कोई एक कथित संपत्ति को एतद्वारा स्वीकृति देता है, बताता है और आश्वस्त करता है या इरादा या अभिव्यक्त करता है जो उनके साथ होना चाहिए और उसके प्रत्येक अधिकार, सदस्य और साजो सामान, को खरीदार के इस्तेमाल और लाम के लिये स्वीकृति, बिक्री, हस्तांतरण और आश्वासन प्रदान करता है हमेशा किराया, दर, कर, मूल्यांकन, देयता और कर्तव्यों के अधीन खरीदार पर लगाए जाएंगे और वे यह इसके बाद सरकार या स्थानीय ग्राम पंचायत या इस संपत्ति से संबंधित किसी अन्य सार्वजनिक निकाय को देय होंगे और विक्रेता यहां इसके बाद अपने स्वयं को, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासकों को, खरीदार को वचन देता है कि विक्रेता द्वारा किसी कार्यवाही, मांग, मामले या किसी चीज के ना होते हुए भी या किसी अन्य व्यक्ति



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 165527



6

दीपक

मीलन प्रकाश

दयाराम शर्मा

Suni

पुनः

और विक्रेता ने इस विक्रय विलेख के निष्पादन से तुरन्त पूर्व खरीदार को कथित खाली संपत्तियों पर भ्रान्तिपूर्वक भौतिक कब्जा सौंप दिया है और खरीदार के लिए यह वैध होगा कि वह समय-समय पर और इसके बाद हर समय इसे अपने पास शांतिपूर्वक रखे, कथित संपत्तियों पर कब्जा रखे, कब्जा प्राप्त करे, उनका आनंद उठाए और जो एतद्वारा उसे साजो सामान के साथ हस्तांतरित की गई हैं और वह चाहे तो किराया प्राप्त करे, अन्य फायदे और लाभ उठाये, और उस पर और उससे हर हिस्से का अपने स्वयं के लिये उपयोग करे और बिना किसी मुकदमे/अभियोग, वैध/कानूनी बेदखली, रुकावट, दावे और/या मांग जो कोई भी भविष्य में यदि विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से कानूनसंगत तरीके से या उस जैसा दावा किया जाता है, वह स्पष्ट रूप से और पूरी तरह दोषमुक्त, उसका हक बहाल किया पाया जाता है और फिर उसे हमेशा के लिये कथित सम्पत्ति को उसे खोना पड़ता है या किसी भी तरह से अन्यथा विक्रेता द्वारा अच्छे और पर्याप्त रूप से उसका बचाव किया जाएगा, उसे सभी पुरानी अन्य सम्पदा, मालिकियत, शुल्कों, और/या प्रमाँ जो देय थे या जिनका अब भुगतान कर दिया है, जिसके लिये विक्रेता द्वारा उसके या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विधिवत या समान रूप से दावा करने या उनके द्वारा दावे के लिये खरीदार को हानि पहुंचाये बिना क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी और इसके अतिरिक्त विक्रेता या वे सभी लोग जो कानूनन या उसके समान किसी सम्पदा, स्वत्वाधिकार, या हित या कथित सम्पत्ति में कोई अंश का दावा करते हैं या जिनका कथित सम्पत्ति में कोई हिस्सा है विक्रेता या उनके उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को समय समय पर और एतद्वारा किसी भी समय खरीदार के अनुरोध और लागत पर सभी न्यायसंगत कार्यवाहियाँ, समझौते, चीजें, मामले, सम्पत्ति हस्तांतरण और कानून का आवासान जो कुछ भी है खरीदार के उपयोग के लिये कथित सम्पत्ति और उसके किसी हिस्से को एतद्वारा स्वीकृति और हस्तांतरण के लिये वह सब उपरोक्त तरीके से करना होगा जैसा खरीदार, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों या हस्तांतरितियों या कानूनी सलाहकारों द्वारा किया जाना तर्कसंगत आवश्यक होगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 165528

दीपक

मीलना प्रभु

प्याशंकर शुक्ला



7

Sumi

128

और विक्रेता घोषित करता है कि कथित संपत्ति स्वयं अधिग्रहीत संपत्ति है और साफ, बिक्री योग्य और सभी प्रभारों से मुक्त है और यह कि केवल विक्रेता ही संपत्ति का एकमात्र हकदार/स्वामी है और विक्रेता खरीदार की क्षतिपूर्ति के लिये सहमत है और वह खरीदार, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादकों, प्रशासकों और हस्तांतरितियों की सभी कार्यवाहियों, दावों, नुकसान, अश्रियों, लागत और खर्च की भी क्षतिपूर्ति करेगा जो खरीदार द्वारा किये जा सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के दावे के परिणामस्वरूप खरीदार को खर्च या नुकसान भुगतना पड़ सकता है।

और विक्रेता आगे वचन देते हैं कि कथित संपत्ति में से गुजरने के लिये किसी को भी सार्वजनिक रास्ते का अधिकार नहीं होगा या ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके अंतर्गत ग्रामीण या उनके मवेशी कथित संपत्ति के रास्ते में से पैदल या अन्यथा गुजर सकें।

और विक्रेता आगे वचन देता है निष्पादन की वर्तमान दिनांक तक कथित संपत्ति से संबंधित सभी देय राशियों का भुगतान किया जा चुका है और इस संबंध में पूर्व भूस्वामी या किसी अन्य प्राधिकारी इत्यादि को कोई भी राशि किसी भी प्रकृति में देय नहीं है। बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख तक कर यानि आंकलन कर, इत्यादि का भी भुगतान कर दिया गया है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 165529

होटा न

मीला गांधी ग्राम

दयाशंकर शुक्ला



8

Sunil

11/11/2011

यदि खरीदार को कथित संपत्ति का कब्जा सौंपने तक किसी प्राधिकरण को कोई राशि का भुगतान देय है तब विक्रेता उसका भुगतान करने के लिये सहमत है और यह कि उसके बाद कथित संपत्ति का खरीदार कब्जा प्राप्त करने के बाद सभी देय राशियों का भुगतान करने का हकदार होगा। विक्रेता आगे वचन देते हैं कि कथित संपत्ति साफ और बिक्रीयोग्य है और बिना किसी संदेह के हर तरह की कुर्की और प्रभार से मुक्त है और एतद्वारा सहमत है और विक्रेता ऐसी सभी कार्यवाहियों, मिलेखों, देनदारियों, कार्यवाहियों, दावों, मांगों, अभियोगों और खर्च के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है जो किसी तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों या कथित संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्राधिकरण से उत्पन्न हुई या हो सकती हैं।

और विक्रीत सम्पत्ति में कोई निर्माण नहीं है और पक्षगण भारत के नागरिक हैं। विक्रीत सम्पत्ति के 300 मीटर के त्रिज्या में कृषि कार्य होता है। उक्त सम्पत्ति कृषि भूमि है तथा कृषि प्रयोज्य हेतु क्रय की जा रही है। विक्रीत सम्पत्ति पर फसलें, कुआं, द्यूब/बोर-वेल आदि नहीं है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

होस्टल

BD 165530

मीलाना प्रमुख

दशरथ शर्मा



9

Suni

क. ए. ए.

इस बिक्री-खरीद लेनदेन के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, टाइपिंग, प्रिंटिंग और प्रतिलिपि शुल्क के साथ ही एडवोकेट फीस सहित सभी खर्च खरीदार द्वारा वहन किये गए हैं। विक्रेता ने एक बार फिर पुष्टि कर दी है कि उसे पूरी सहमत प्रतिफल राशि प्राप्त हो गई है और खरीदार से उपरोक्त संपत्तियों के एवज में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। विक्रेता ने अपनी उक्त भूमि को पूर्ण रूप से क्रेता को विक्रय करते हुए कब्जा दे दिया है इसके अतिरिक्त, विक्रेता ने हिंदी भाषा में लिखे इस विलेख के सभी खंड, नियम व शर्तें सुन या पढ़कर समझ लिया हैं। क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह इस विक्रय विलेख के द्वारा ही विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम करा लेवे, विक्रेता को कोई एतराज नहीं होगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

होल्डर

AB 771645

नीलाकाशपुत्र



10

Suni

दयाशंकर शुक्ला

पुत्र

संपत्ति अनुसूची / सीमाएं

चक होल्डर नं० 38 के चक नं० 1 के प्रस्तावित गाटा सं० 10मि०, 11मि०, 14मि०, कुल विक्रित रकबा 0.017 हे० सम्पूर्ण वैधानिक अंश स्थित टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती जिसे संलग्न मानचित्र में दर्शित किया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार हैं:

चौहद्दी :-

पूरब:-

आराजी चक होल्डर नं० 16 N.C.M.L बस्ती प्र. लि.

पश्चिम:-

शेष रकबा सहखातेदार

उत्तर:-

आराजी चक होल्डर नं० 268 N.C.M.L बस्ती प्र. लि.

दक्षिण:-

आराजी चक होल्डर नं० 38 N.C.M.L बस्ती प्र. लि.

इसको साक्षी मानकर पार्टियों ने एतद्वारा उपरोक्त बिक्री विलेख पर गवाहों के समक्ष दिनांक 6-09-18 को स्वस्थ मन,चित्त, बिना जोर दबाव के अपनी स्वीकृति के साथ हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 771646

मोलाग पञ्चम

दयाशंकर शुक्ल

प. पाठक

दीपक



11

द्वारा मुहरबंद हस्ताक्षर प्रेशित किए गए

विक्रेतागण के नाम

- (1) श्रीमान कृपाशंकर
- (2) श्रीमान छोटकन
- (3) श्रीमान मोलानाथ
- (4) श्रीमती दयाशंकर

द्वारा मुहरबंद हस्ताक्षर प्रेशित किए गए

क्रेता के नाम के भीतर

एन० सी० एम० एल० बस्ती प्रा०लि०

बजरिये उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 181382

मीलाना प्रभु

दयाशंकर शुक्ल

अमर

12

Suni

गवाहान-

1. पूरा नाम- आयुष ठाकुर
पिता का नाम- मनोज ठाकुर
पूरा पता-बी- ग्राम कालका जी नई दिल्ली
मो० नं०-



2. पूरा नाम- रमनोष डूवे
पिता का नाम- उमराव रमनोष डूवे
पूरा पता- ग्राम डूवेपुरा पो० दलामीपुरा केरमपुरा जिला बुलढानपुर
तहसीर दिनांक- 6/09/18

मसविदाकर्ता- मशोक कुमार वर्मा
एडवोकेट

(137)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EF 181383

MC.ML	MC.ML
7.75 मीटर	7.75 मीटर
1.48 मीटर	1.48 मीटर
MC.ML	MC.ML

मेर- पेज 3 वीं पृष्ठ 2 वीं कुलजव 0.363 वरुई
0.191 वरुई सुते है।
राशि के कमा 22.3 मीटर शत - करिजे 7.75 मीटर

मीलाना प्रमाण

कमर के दो टंकन

दयाशंकर शुक्ला



Anurag Thakur
S/o Manoj K. Thakur
R2-80 F Gali No-10,
Tughlaqabad Ext,
New Delhi-110019



Santosh Kumar Dubey s/o
R.L. Dubey
Dubeypur, Dhoni Jai Kadda -
Sur Sultanpur.



लेगा
सबोद गुप्त व मंडल
दिनांक 6/9/18

- 9617

गोबिन्द म. लाल, ज. सि.

001

अजय नारायण गुप्ता

बही संख्या 1796 के पृष्ठ 371 से 396 तक क्रमांक 2248 पर दिनांक 06/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

06-978

बृजभूषण सिंह

उप निबंधक : भानपुर

बस्ती

06/09/2018

